

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 13/2022 – निगरानी

ग्राम पंचायत पालड़ी, पंचायत बनाम
समिति सुवाणा, तहसील व जिला
भीलवाड़ा जरिये सरपंच/सचिव,
ग्राम पंचायत पालड़ी

1. कन्हैयालाल पुत्र गहेरी लाल पुत्र
कजोडीमल महात्मा निवासी ए-25,
सुभाषनगर, युआईटी के पीछे, भीलवाड़ा
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति
सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाड़ा
– गैर निगराकार

–निगराकार

निगरानी विरुद्ध आदेश 07/12/2009, पत्रावली संख्या 29, पट्टा संख्या 778,
तारीख आदेश तत्कालीन सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत पालड़ी, पंचायत समिति
सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा

उपस्थित –

1. श्री गणेश जोशी अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री अमित कोठारी अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से



निर्णय

दिनांक 10.11.2022


निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरुद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत पालड़ी के द्वारा गैर निगराकार सं. 01 को विधि विरुद्ध पंचायत की बेशकीमती आबादी भूमि का पट्टा जारी करने के कारण पंचायत को लाखों रूपयों की हानि होने से निगराकार के द्वारा यह निगरानी तत्कालीन सरपंच द्वारा जारी किये गये पट्टों को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत की जा रही है, क्योंकि पंचायत अधिनियम के नियम 157 के तहत पट्टा जारी करने की पालना नहीं की गई है। तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत पालड़ी एवं सचिव के द्वारा गैरनिगराकार सं. 01 को जो पट्टा पुरानेगृहों का विनियमितिकरण का नियम 157(ख) के तहत जारी किया गया है, वह पूर्ण रूप से विधि के विपरीत होकर मात्र 200/-रूपये में जारी किया गया, जबकि मौके पर आज भी खाली भूखण्ड है तथा किसी भी प्रकार का कोई कच्चा या पक्का निर्माण नहीं है। पत्रावली में तत्कालीन सचिव द्वारा मौके पर जाकर जो नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया है, वह भी मिथ्या है। इस प्रकार तत्कालीन सचिव ने गलत रिपोर्ट पेश की है। निगराकार एक राजकीय संस्था है, जो कि पंचायतीराज अधिनियम से बाधित है, जबकि तत्कालीन

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

को अपास्त कर सकते हैं। इस प्रकरण में पट्टे जारी करते समय व उसके 10 वर्ष पश्चात् तक कोई अपील नहीं की गयी। वर्तमान सरपंच भी वर्ष 2019 में निर्वाचित हो गये थे और उन्होंने भी लगभग 03 वर्ष तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की। जबकि वे (सरपंच) इसी गांव के निवासी हैं। हस्तगत निगरानी काफी देरीना अर्थात् बेरुन मियाद पेश होने से कानूनन पोषणीय न हो काबिल खारिजी के हैं। उक्त सिद्धान्त न्यायिक दृष्टान्त 2008 (2) DNJ (Raj.) Page 735 में पारित फरमाया गया है। अतः प्रार्थना है कि गैर निगराकार की ओर से उक्तानुसार प्रस्तुत लिखित बहस व न्यायिक दृष्टान्तों पर घोर फरमाते हुये हस्तगत निगरानी गिराकार कानूनन पोषणीय न होने से सब्यय खारिज फरमाई जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि ग्राम पंचायत पालडी ने गैर निगराकार संख्या 01 को 6400 वर्गफीट का पट्टा दिनांक 07.12.2009 को जारी किया गया, उसी दिनांक 07.12.2009 को गैर निगराकार संख्या 01 के पिता गेहरी लाल पुत्र कजोडीमल महात्मा को 6400 वर्गफीट का जो पट्टा संख्या 779 दिनांक 07.12.2009 को जारी किया हैं, एवं उसी दिन ग्राम पंचायत ने गैर निगराकार संख्या 01 के पिता गेहरी लाल पुत्र कजोडीमल महात्मा को 2132 वर्गफीट का पट्टा संख्या 776 दिनांक 07.12.2009 को जारी किया हुआ हैं। इन तीनों पट्टों में एक ही दिन दिनांक 23.03.2009 को अलग-अलग आवेदन कर, पृथक - पृथक पट्टे जारी कराये हैं जिनका कुल क्षेत्रफल $6400 + 2132 + 6400 = 14932$ वर्गफीट का होता हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत पालडी ने एक ही परिवार को कुल 14932 वर्गफीट का पट्टा जारी किया गया, जबकि ग्राम पंचायत को राजस्थान पंचायती राज नियमों के तहत 300 वर्गगज यानि 2700 वर्गफीट तक का ही पट्टा जारी करने का क्षेत्राधिकार हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत पालडी द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1994 के नियमों की स्पष्ट उल्लंघना किया जाना प्रतीत होता हैं।

पत्रावली परीक्षण से पाया गया कि गैर निगराकार संख्या 01 ने दिनांकित 29.12.2021 को सरपंच ग्राम पंचायत पालडी को पत्र प्रेषित किया, जिसमें गैर निगराकार सं 01 ने उक्त प्रश्नगत पट्टा दिनांक 15.04.1964 से सामलाती खाता चला आ रहा है, का अंकन किया हुआ है।

 जब गैर निगराकार संख्या 01 स्वयं ने उक्त प्रश्नगत पट्टे को वर्ष 1964
अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा



में सामलाती खाता होना बताया हैं, तो फिर दिनांक 07/12/2009 को 50 वर्ष कैसे हुए? क्योंकि 50 वर्ष तो 2014 में होते हैं इससे स्पष्ट है कि गैर निगराकार सं. 01 ने प्रश्नगत पट्टा पुराने गृहों का विनियमितिकरण का गलत प्राप्त किया है एवं तत्कालीन सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत पालड़ी ने भी पंचायत को राजकीय राशि की हानि पहुंचाई है।

गैर निगराकार संख्या 01 ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि उक्त निगरानी निगराकार द्वारा बैरून मियाद पेश की हैं जो कानूनन पोषणीय नहीं हैं।

लिमिटेशन एक्ट बारे में पत्रावली अवलोकन से यह जाहिर आया कि निगराकार द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त 2019 (1) सी जे (सिवि.)(राज.) 230 उषा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान यहां पर चस्पा होते हैं।


उपरोक्त विवेचन अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियमों की उल्लंघना कर गैर निगराकार संख्या 01 को विधि विरुद्ध तरीके से जो पट्टा संख्या 778 दिनांक 07.12.2009 जारी किया गया, वह प्रारब्ध से ही शून्य होने से खारिज होने योग्य ठहरता हैं एवं विधि विपरीत पट्टा को खारिज किया जाना न्यायहित व राज्य हित में है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव—

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत पालड़ी द्वारा जारी पट्टा संख्या 778 दिनांक 07.12.2009 को निरस्त किया जाता हैं। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति सुवाणा एवं ग्राम पंचायत पालड़ी पंचायत समिति सुवाणा को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
अति. जिला कलेक्टर,
भीलवाड़ा
भीलवाड़ा